

पत्रावली पेश हुई। अधिकार, अपील
 एवं अपीलार्थ स्वयं अनुपस्थित। न्यायालय
 समय तक रुक-रुक ताबाजे दिलाई।
 गई। अपीलार्थ एवं अधिकार अपीलार्थ
 बावजूद सुनना अनुपस्थित। न्यायालय
 आदेशिका दिनांक 25/09/2018, दिनांक 10/12/2018,
 दिनांक 22/01/2019, दिनांक 22/04/2019, दिनांक 07/06/2019
 में पारित आदेश की पालना आज
 तक नहीं की है जो न्यायालय आदेश
 की सरासर अवज्ञा की श्रेणी में आता
 है। अधिकार अपीलार्थ उक्त में न्यायसंगत
 पैरवी नहीं कर रहे। निहाय अपील
 अपीलार्थ अदर हाजिरी, अदर पैरवी एवं
 अदर पालना में खारिज की जाती है।
 पत्रावली फेलाव शुभार नम्बर से कद
 होकर काद तकमील दाखिल इपलद हो।
 आदेश से इजलास सुनाया गया।

[Signature]
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बालमोर